

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

- (1) प्रकरण संख्या: 27/2017
(2) दायरा दिनांक: 09.10.2017

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही

बनाम

गैरसायल

मफाराम पुत्र तलसाराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- रामदेव मंदिर गली, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर, जिला- सिरौही

“इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975”

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल एवं गैरसायल के अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत

-: निर्णय :-

दिनांक 18 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा गैरसायल मफाराम पुत्र तलसाराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- रामदेव मंदिर गली, रेवदर के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल का जुआ खेलने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नहीं होते हैं। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलते पकड़ा जाने पर पुलिस थाना रेवदर में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 4 प्रकरण दर्ज हुये हैं तथा इन चारों प्रकरणों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुमाने/सजा से दण्डित किया है। गैरसायल के विरुद्ध पूर्व में प्रकरण संख्या 09/2011 व 57/2011 दर्ज होकर सजा होने पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत इस्तगासा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें गैरसायल को 6 माह की अवधि के लिये जिला बंदर किया गया था। मगर उक्त गैरसायल द्वारा निरन्तर अपराध किया जाने से निष्कासन के बाद भी गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, रेवदर में 2 प्रकरण दर्ज होकर उनमें चालान प्रस्तुत किये गये। जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुमाने से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआं खेलने में लिप्त है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है जो आदतन जुआं खेलने व आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित करने से आम जनता में

.....पेज दो पर

ज.सि. जिला मजिस्ट्रेट

सिरौही-307001.



भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(बी)3(सी) में वर्णित अपराध करने का आदि है और मौजूदा समय में ऐसे अपराध करने में लिप्त है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 12.12.2017 को गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल उपस्थित हुये। गैरसायल ने दिनांक 12.12.2017 को एक प्रार्थना पत्र कर अनवीक्षा चाही। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 18.7.2018 को गैरसायल ने अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत के साथ उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया व जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकार कर लिये जाने से सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना रेवदर में 4 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन चारों प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्मान से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुए में गवा चुके है। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते है, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है। गैरसायल ने जुआं के उक्त मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने, मारपीट करने, लोगों को धमकाने आदि कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुये है, केवल गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलने के मुकदमे ही दर्ज हुये है जिनमें गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं है। गैरसायल विगत तीन वर्षों से किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी कर शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस

....पेज तीन पर

ब.पि. जिन्ना बजिस्ट्रेट

बिरोही-307001.



अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल मफाराम पुत्र तलसाराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी- रामदेव मंदिर गली, रेवदर के विरुद्ध पुलिस थाना, रेवदर में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 09/2011, 57/2011, 37/04.4.2015 एवं 59/19.5.2015 को दर्ज हुये, जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त मुकदमों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिनके आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 37/04.4.2015 एवं 59/19.5.2015 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 25.6.2015 व 27.7.2015 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 27.7.2015 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होने बावत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल द्वारा लोगों को धमकाने व आतंकित करने के संबंध में भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध शांतिभंग करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई हो, ऐसी भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये गैरसायल मफाराम पुत्र तलसा जी, जाति- मेघवाल, निवासी- रामदेव मंदिर गली, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर, जिला- सिरोही को छः माह की अवधि के लिये नेकचलनी व शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर आदेशित किया जाता है कि गैरसायल एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा गैरसायल भविष्य में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निर्बन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत रुपये पचास हजार रुपये का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही